न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2025 (डूंगरपुर आर्डर)

1. हरजी पिता फुला अहारी मीणा
2. सोमा पिता फुला अहारी मीणा
3. दिनेश पिता हरजी अहारी मीणा
4. धनपाल पिता हरजी अहारी मीणा
5. मनोहरलाल पिता हरजी अहारी मीणा
6. श्रीमती कमला पत्नी हरजी अहारी मीणा
7. देवीलाल पिता सोमा अहारी मीणा
8. श्रीमती पुष्पा पत्नी देवीलाल अहारी मीणा
9. श्रीमती वालकी पत्नी सोमा अहारी मीणा
10. श्रीमती सुशीला पत्नी सोमा अहारी मीणा

सर्वनिवासयिन देवसोमनाथ, फला रायणी, तहसील दोवड़ा, जिला डूंगरपुर

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. सुखदेव पिता फूला अहारी मीणा, निवासी देवसोमनाथ, फला रायणी, तहसील दोवड़ा, जिला डूंगरपुर
2. राजस्थान राज्य भूमिधारी तहसीलदार, दोवड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर दिनांक 09.12.2024 प्र.सं. 107/24

---/---

उपस्थित :– 1– श्री अल्लानूर मंसूरी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्रीमती स्वाति पारीक अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

---::---

निर्णय **दिनांक 09–10–2025**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण एक ही कुटुम्ब के सदस्य होकर मौजा गोडी आमली, तहसील दोवड़ा में आराजी नंबर [illegible] रकबा 0.2500 हैक्टर, आराजी नंबर 1502 रकबा 0.0600 हैक्टर, आराजी नंबर 1505 रकबा 0.0500 हैक्टर, आराजी नंबर 1506 रकबा 0.[illegible] हैक्टर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:14 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

आराजी नंबर 1507 रकबा 0.1600 हैक्टर भूमि स्थित है, जो प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16–06–1981 को मुरली शंकर पिता खेमराज सेवक से क्रय की गयी, जो प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति होने से विपक्षीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है, किन्तु विपक्षीगण जबरन अनाधिकृत रूप से उक्त आराजियात में प्रवेश करते हैं, जिससे उन्हें पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का सम्पूर्ण आराजियात पर कब्जा नहीं है एवं मौके पर तीन हिस्सों में बंटवारा कियाज ाकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 09–12–2024 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को मूलवाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/विपक्षी संख्या 1 से 10 द्वारा दिनांक 03–01–2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती स्वाती पारीक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बड़े भाई कर्ताखानदान होने से भूमियां उनके नाम पर क्रय की गयी, जबकि तीनों भाईयों अर्थात अपीलान्ट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य बंटवारा होकर 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने मौके पर कब्जे बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कयासी आधारों पर कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मानकर अपीलान्टगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने [illegible] के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2006-07 (Supp.) Page 368, RRT 2014 (2) Page 835, RRT 2019 (1) Page 479, RRT 2019 (1) Page 271, [illegible] 2021 (1) Page 260 प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:14 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में माने हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार हैं तथा विधि अनुसार खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

7. हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी नंबर 1501 रकबा 0.2500 हैक्टर, आराजी नंबर 1502 रकबा 0.0600 हैक्टर, आराजी नंबर 1505 रकबा 0.0500 हैक्टर, आराजी नंबर 1506 रकबा 0.2000 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1507 रकबा 0.1600 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 0.7200 हैक्टर भूमि का रेकार्डेड खातेदार है। अपीलान्ट द्वारा पारिवारिक बंटवारा होने का कथन किया गया है, किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार होने से अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं वह कब्जे के संबंध में हैं, जबकि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार हैं, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक नजीरें इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09–12–2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 09–10–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:14 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौर)
मु. प्रशासनिक अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर